

कार्यालय कलेक्टर, रायगढ छत्तीसगढ एवं पदेन उप सचिव छ0ग0 शासन राजस्व विभाग

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक - 01/अ-82/2017-18

रायगढ, दिनांक 15/08/2018

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की भडीसार-पीपरडीह मार्ग पर पहुच मार्ग सेतु निर्माण हेतु प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जाएगा) की धारा - 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

- 1- जिला : रायगढ
- 2- तहसील : सारगढ
- 3- ग्राम : भडीसार
- 4- लगभग क्षेत्रफल (हे.मे) : 0.619 हे.

ख.नं.	रकबा	ख.नं.	रकबा	ख.नं.	रकबा	ख.नं.	रकबा
548	0.132	549	0.052	482 1	0-060	550 1	0.115
562	0.008	482 3	0.040	550 2	0.048	558/1	0.032
561/2 क	0.016	561 3	0.032	561/4 क	0.012	561/5	0.020
482/2	0.036	485 2	0.016	-	-	-	-
योग :- कुल खसरा नं. 14 कुल रकबा 0.619 हे0							


टीप :-

- 1- भूमि नक्शा/प्लान अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारगढ के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- 2- उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शम्मी आडिदी)

कलेक्टर रायगढ एवं पदेन उप सचिव
छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग


अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी,
सारगढ